



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

चैत्र 10, सोमवार शाके 1942- मार्च 30, 2020
Chaitra 10, Monday, Saka 1942- March 30, 2020

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2020

संख्या प.2(22)विधि/2/2020.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 9)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 26 मार्च, 2020 को प्राप्त हुई)

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 और राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 को और संशोधित करने के लिए और भूमि कर से संबंधित विधि को सरल और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम.- इस अधिनियम का नाम राजस्थान वित्त अधिनियम, 2020 है।
2. 1958 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 की धारा 3 के अधीन घोषणा.- राजस्थान अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 23) की धारा 3 के अनुसरण में, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खण्ड 5, 6, 9, 10, 11 और 13 के उपबंध उक्त अधिनियम के अधीन तुरन्त प्रभावी होंगे तथा शेष उपबंध 1 अप्रैल, 2020 से प्रवृत्त होंगे।

अध्याय 2

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 में संशोधन

3. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14), जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (xix) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 "(xix) **"लिखत"** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
- (क) ऐसा प्रत्येक दस्तावेज जिसके द्वारा कोई भी अधिकार या दायित्व सृष्ट, अंतरित, सीमित, विस्तारित, निर्वापित या अभिलेखबद्ध किया जाता है या किया जाना तात्पर्यित है; और
- (ख) अनुसूची में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज;
स्पष्टीकरण.- शब्द "दस्तावेज" में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (न) में यथापरिभाषित कोई इलैक्ट्रॉनिक अभिलेख भी सम्मिलित है।";
- (ii) विद्यमान खण्ड (xxxiii-क) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 "(xxxiii-क) **"प्रतिभूतियों"** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
- (क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथापरिभाषित प्रतिभूतियां;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 45प के खण्ड (क) में यथापरिभाषित कोई "व्युत्पन्नी";
- (ग) निक्षेप प्रमाणपत्र, वाणिज्यिक आवधिक बिल, वाणिज्यिक कागज, कारपोरेट बंधपत्र पर रेपो और एक वर्ष तक की मूल या आरंभिक परिपक्वता वाली ऐसी अन्य ऋण लिखत, जो भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे; और
- (घ) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिभूति के रूप में घोषित कोई अन्य लिखत;"; और
- (iii) विद्यमान खण्ड (xxxvii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 "(xxxvii) **"स्टाक एक्सचेंज"** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं-
- (क) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 42) की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित कोई मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज; और
- (ख) प्रतिभूतियों के संव्यवहार हेतु व्यापार या रिपोर्टिंग के लिए ऐसा अन्य प्लेटफार्म, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाये।";

4. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 5 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 5 में, विद्यमान उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(3) उप-धारा (1) और (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्रतिभूतियों के किसी निर्गम, विक्रय या अंतरण की दशा में, ऐसी लिखत, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 9क के अधीन स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है, इस धारा के प्रयोजन के लिए मूल लिखत होगी और ऐसे किसी संव्यवहार से संबंधित किन्हीं अन्य लिखतों पर कोई स्टाम्प शुल्क प्रभारित नहीं किया जायेगा।"

5. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 9 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अंतरण" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति "के मामलों में शुल्कों" से पूर्व अभिव्यक्ति ", या ऐसी अन्य लिखतों, जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें," अंतःस्थापित की जायेगी।

6. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 18 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिह्न "।" के स्थान पर विराम चिह्न ":" प्रतिस्थापित किया जायेगा और इस प्रकार संशोधित उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु राज्य के बाहर निष्पादित की गयी राज्य में स्थित किसी संपत्ति से संबंधित प्रत्येक लिखत उसके निष्पादन की तारीख से तीन मास के भीतर-भीतर उस कलक्टर के समक्ष पेश की जायेगी, जिसकी अधिकारिता में संपत्ति स्थित है।"

7. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 23 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 23 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"23. स्टॉक और विपण्य प्रतिभूतियों का मूल्यांकन कैसे किया जायेगा.- जहां कोई लिखत किसी स्टॉक या किसी विपण्य या अन्य प्रतिभूति की बाबत मूल्यानुसार शुल्क से प्रभार्य है, वहां ऐसा शुल्क ऐसे स्टॉक या प्रतिभूति के बाजार मूल्य पर संगणित किया जायेगा:

परन्तु स्टाम्प शुल्क की संगणना करने के लिए बाजार मूल्य-

- (क) किन्हीं प्रतिभूतियों में विकल्प की दशा में, क्रेता द्वारा संदत्त प्रीमियम होगा;
- (ख) कारपोरेट बंधपत्रों पर रेपो की दशा में, उधार लेने वाले द्वारा संदत्त ब्याज होगा; और
- (ग) अदला-बदली की दशा में, नकद प्रवाह का केवल प्रथम चरण होगा।"

8. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 32 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 32 के खण्ड (घ) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "विनिमय" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अदला-बदली सहित विनिमय" प्रतिस्थापित की जायेगी।

9. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 36 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (3) में विद्यमान द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि इस धारा की कोई बात कलक्टर को निम्नलिखित का पृष्ठांकन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी-

- (क) कोई निष्पादित या, राज्य में प्रथम बार निष्पादित लिखत और जो उसके निष्पादन या, यथास्थिति, प्रथम बार निष्पादन की तारीख से एक मास के अवसान के पश्चात् उसके समक्ष लायी गयी हो;
- (ख) कोई निष्पादित या, राज्य के बाहर प्रथम बार निष्पादित लिखत और जो राज्य में प्रथम बार प्राप्त होने के पश्चात् तीन मास के अवसान के पश्चात् उसके समक्ष लायी गयी हो।"

10. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 39 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 39 के परन्तुक में,-

- (i) विद्यमान खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
 "(घ) इसमें अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी न्यायालय में किसी लिखत को ग्रहण किये जाने से तब निवारित नहीं करेगी जबकि ऐसी लिखत सरकार के पक्ष में निष्पादित की गयी है या जहां स्टाम्प शुल्क संदत्त करने का दायित्व सरकार पर है या जहां उस पर इस अधिनियम की धारा 36 या किसी अन्य उपबंध द्वारा यथा उपबंधित कलक्टर का प्रमाण पत्र है;" और
- (ii) विद्यमान खण्ड (छ) हटाया जायेगा।

11. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की धारा 53 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 53 में, विद्यमान उप-धारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"(7) इस धारा के अधीन की जांचों के प्रयोजनार्थ कलक्टर को, उन्हीं साधनों से और यथा-संभव उसी रीति से, जो सिविल न्यायालय के मामले में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन उपबंधित है, लिखत के पक्षकारों या उनमें से किसी को भी सम्मिलित करते हुए साक्षियों को समन करने और उनकी हाजिरी प्रवर्तित कराने के लिए और दस्तावेजों को पेश करने के लिए विवश करने की शक्ति होगी।"

12. 1999 के राजस्थान अधिनियम सं. 14 की अनुसूची का संशोधन.- मूल अधिनियम की अनुसूची में,-

- (i) विद्यमान अनुच्छेद 5-क और अनुच्छेद 18 हटाया जायेगा;
- (ii) अनुच्छेद 26 में, स्तम्भ (1) की प्रविष्टि में, विद्यमान अभिव्यक्ति "**माल की बाबत परिदान-आदेश**" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति ", अर्थात् कोई ऐसी" से पूर्व, अभिव्यक्ति "(स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूतियों के संव्यवहार व्यवस्थापन की बाबत परिदान आदेश को अपवर्जित करते हुए)" अंतःस्थापित की जायेगी; और
- (iii) विद्यमान अनुच्छेद 34 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

" 34. आवंटन-पत्र, जो किसी कम्पनी या प्रस्थापित कम्पनी द्वारा लिये जाने वाले किसी उधार की बाबत है।	पांच सौ रुपये। "
---	------------------

अध्याय 3

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 में संशोधन

13. 1950 के राजस्थान अधिनियम सं. 2 की धारा 9-क का संशोधन.- राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं. 2) की धारा 9-क की उप-धारा (1) के परन्तुक में विद्यमान अभिव्यक्ति "75%" के स्थान पर अभिव्यक्ति "25%" प्रतिस्थापित की जायेगी।

अध्याय 4

भूमि कर

14. प्रसार.- इस अध्याय का प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

15. परिभाषाएं.- इस अध्याय में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

- (क) "अपील प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र के लिए इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ख) "निर्धारण प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी क्षेत्र के लिए इस रूप में नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) "भूमि" से भूमि की ऊपरी सतह से केन्द्र तक की भूमि अभिप्रेत है और जहां भूमि की भिन्न-भिन्न परतों में पृथक्-पृथक् अधिकार धारित और मंजूर किये जाते हैं वहां ऐसी भिन्न-भिन्न परतें पृथक्-पृथक् भूमियों के रूप में मानी जायेंगी और कर का निर्धारण पृथक्-पृथक् रूप से और एक-दूसरे से स्वतंत्र किया जायेगा;
- (घ) "भू-धारक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो कराधेय भूमि को उसके स्वामी, अभिधारी, पट्टेदार, अनुज्ञप्तिधारी, प्राप्तिकर्ता के रूप में या किसी स्वामित्व या अधिभोग के अन्य अधिकार के अधीन धारित करता है;

स्पष्टीकरण.- जहां कोई भू-धारक एक से अधिक कराधेय भूमियां धारित करता है,

वहां ऐसी समस्त भूमियां इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक इकाई मानी जायेंगी।

- (ङ) "विहित" से इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (च) "कर" से इस अध्याय के अधीन भूमि पर उद्गृहीत और संदेय कर अभिप्रेत है;
- (छ) "कराधेय भूमि" से समस्त भूमियां अभिप्रेत हैं, सिवाय उन भूमियों के जो-

(i) (क) केन्द्रीय सरकार; या

(ख) राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी,

के स्वामित्वाधीन है, वहां को छोड़कर जहां ऐसी भूमि या उससे संसक्त कोई अधिकार किसी भी व्यक्ति, संस्था या निगम इत्यादि को, संदाय पर या संदाय के बिना उसके उपयोग के लिए पट्टे पर या अन्यथा दी जाती है; या

- (ii) (क) कृषि या आवासीय प्रयोजनों के लिए; या
 (ख) वक्फ संपत्ति के रूप में; या
 (ग) राज्य सरकार के देवस्थान विभाग द्वारा; या
 (घ) धार्मिक या लोक पूर्त प्रयोजनों के लिए; या
 (ङ) शवों के निपटारे से संबंधित प्रयोजनों के लिए; या
 (च) सार्वजनिक उद्यानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों या सार्वजनिक संग्रहालयों या समरूप सार्वजनिक सुख-सुविधाओं के लिए,

धारित है; या

- (iii) जो, तत्समय, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) या राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के उपबंधों के अधीन कर (चाहे किसी भी नाम से जाना जाये) के लिए निर्धारणीय है; और

(ज) "वर्ष" से 1 अप्रैल को प्रारंभ और ठीक आगामी 31 मार्च को समाप्त होने वाला वर्ष अभिप्रेत है।

16. कर का उद्ग्रहण और उसकी दर.- (1) इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कराधेय भूमियों के ऐसे वर्ग पर, पांच सौ रुपये प्रति वर्गमीटर से अनधिक की ऐसी दरों पर, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रत्येक वर्ष के लिए कर उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जायेगा और कराधेय भूमियों के भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए भूमि का वर्गीकरण करते समय ऐसे कारक जैसे भूमि का मूल्य, उत्पादकता, संरचना, उससे उद्भूत होने वाले फायदे इत्यादि को ध्यान में रखा जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन उद्ग्रहीत कर प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को शोध्य हो जायेगा और उस दिवस को कराधेय भूमि धारित करने वाला भू-धारक उस वर्ष के लिए संपूर्ण कर संदत्त करने का दायी होगा, तथापि, वह ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस भूमि को उस वर्ष के किसी पश्चात्वर्ती भाग में धारित करता है, कर की आनुपातिक रकम का दावा करने और उसे वसूल करने का हकदार होगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भूमि किसी वर्ष की 1 अप्रैल के पश्चात् किसी भी समय कर के लिए दायी होती है, वहां इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय कर उस वर्ष की शेष कालावधि के लिए आनुपातिक रूप से उद्ग्रहीत किया जायेगा और ऐसा कर उस मास, जिसमें ऐसी भूमि इस प्रकार दायी होती है, के आगामी मास के प्रथम दिवस को शोध्य हो जायेगा और उस दिवस को कराधेय भूमि को धारित करने वाला भू-धारक उस वर्ष की शेष कालावधि के लिए संपूर्ण कर संदत्त करने का दायी होगा, तथापि, वह ऐसे किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस भूमि को उस वर्ष के किसी पश्चात्वर्ती भाग में धारित करता है, कर की आनुपातिक रकम का दावा करने और उसे वसूल करने का हकदार होगा।

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भूमि, किसी वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी कारण से, चाहे जो कोई भी हो, कर के लिए दायी नहीं रह जाती है वहां इस धारा

के अधीन उद्ग्रहणीय कर, उस वर्ष की उस कालावधि, जिसके दौरान ऐसी भूमि कर के लिए दायी थी, के लिए आनुपातिक रूप से उद्ग्रहीत किया जायेगा।

17. कर का संदाय किस्तों में करने का विकल्प और ब्याज.- (1) कोई भू-धारक, अपने विकल्प पर, कर का संदाय, वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पूर्व या उस मास, जिसमें कोई भूमि कराधेय हो जाती है, के आगामी मास के आखिरी दिवस को या उससे पूर्व एकमुश्त या किसी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होने वाली बराबर कालावधियों की तीन बराबर किस्तों में कर सकेगा तथापि, 30 अप्रैल या, यथास्थिति, उस मास, जिसमें कोई भूमि कराधेय हो जाती है, के आगामी मास के आखिरी दिवस, के पश्चात् संदत्त कर की किसी रकम पर, ऐसी रकम के संदाय की तारीख तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज देय होगा।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भूमि किसी कारण से, चाहे जो कोई भी हो, वर्ष के दौरान किसी भी समय कर के लिए दायी नहीं रह जाती है, वहां भू-धारक ऐसी भूमि के संबंध में उस मास, जिसमें ऐसी भूमि कर के लिए दायी नहीं रह जाती है, के आखिरी दिवस को या उससे पूर्व शोधय कर की संपूर्ण रकम, उस पर संदेय ब्याज, यदि कोई हो, के साथ संदत्त करेगा।

18. सरकार की कर से छूट देने, उसमें कमी करने या उसका परिहार करने की शक्ति.- राज्य सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना समीचीन समझे, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कराधेय भूमियों के किसी वर्ग के संबंध में या भू-धारकों के किसी वर्ग द्वारा संदेय कर से, किसी शर्त के बिना या ऐसी शर्तों सहित, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, चाहे भविष्यलक्षी या भूतलक्षी प्रभाव से, छूट दे सकेगी, उसमें कमी कर सकेगी या उसका परिहार कर सकेगी।

19. कर का निर्धारण और संदाय तथा विवरणी का फाइल किया जाना.- (1) प्रत्येक भू-धारक, इस अध्याय के अधीन संदेय कर का स्वनिर्धारण करेगा और प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को या उससे पूर्व या, यथास्थिति, उस मास जिसमें कोई भूमि कराधेय हो जाती है, के आगामी मास के आखिरी दिवस को या उससे पूर्व, विहित प्ररूप में और रीति से, निर्धारण प्राधिकारी को एक विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन निर्धारित कर भू-धारक द्वारा, सरकारी खजाने या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, जमा कराया जायेगा।

(3) जहां भू-धारक को उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी विवरणी में किसी लोप या गलती का पता चलता है तो वह उस तारीख, जिसको विवरणी देय हो जाती है, से तीस दिवस के भीतर-भीतर पुनरीक्षित विवरणी फाइल कर सकेगा और यह साबित करने का भार कि ऐसा लोप या गलती सद्भावपूर्वक थी, ऐसे भू-धारक पर होगा।

(4) जहां उप-धारा (1) के अधीन फाइल की गयी विवरणी अपूर्ण है या निर्धारण प्राधिकारी विवरणी की शुद्धता से संतुष्ट नहीं है तो वह, लिखित नोटिस द्वारा, भू-धारक से ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाये जाने की अपेक्षा करेगा और भू-धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा कर का निर्धारण करेगा और ऐसा निर्धारण उस कालावधि, जिससे विवरणी संबंधित है, के प्रथम दिवस से प्रभावी होगा।

(5) यदि उप-धारा (4) के अधीन कोई भी नोटिस उस तारीख, जिसको विवरणी देय हो जाती है, से तीन वर्ष के भीतर-भीतर जारी नहीं किया जाता है तो उप-धारा (1) के अधीन किया गया निर्धारण और फाइल की गयी विवरणी अंतिम होगी और उसे इसके पश्चात् किसी भी रीति से, चाहे जो कोई भी हो, प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

20. छूटा हुआ निर्धारण.- (1) जहां इस अध्याय के अधीन कर का संदाय करने के लिए दायी भू-धारक धारा 19 के अधीन यथा अपेक्षित विवरणी फाइल करने और कर जमा कराने में विफल रहता है तो निर्धारण प्राधिकारी लिखित नोटिस द्वारा, भू-धारक से ऐसी सूचना या दस्तावेज, जो वह आवश्यक समझे, प्रस्तुत करने या प्रस्तुत करवाये जाने की अपेक्षा करेगा और भू-धारक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा, कर का निर्धारण करेगा और ऐसा निर्धारण उस दिवस, जिसको भूमि कर के लिए दायी हो जाती है, से प्रभावी होगा और निर्धारण की तारीख को भूमि धारित करने वाला भू-धारक, इस प्रकार निर्धारित संपूर्ण कर का, इस अध्याय के अधीन संदेय शास्ति और ब्याज, यदि कोई हों, के साथ संदाय करने का दायी होगा, तथापि, वह ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जिसने उस कालावधि, जिससे ऐसा निर्धारण संबंधित है, के किसी भाग में उस भूमि को धारित किया था, से कर, शास्ति और ब्याज की आनुपातिक रकम का दावा करने और उसे वसूल करने का हकदार होगा और जहां निर्धारण की तारीख को ऐसी भूमि कराधेय नहीं रह जाती है वहां समस्त भू-धारक, जिन्होंने उस कालावधि, जिससे ऐसा निर्धारण संबंधित है, के दौरान भूमि धारित की थी, इस प्रकार निर्धारित कर का, इस अध्याय के अधीन संदेय शास्ति और ब्याज, यदि कोई हों, के साथ संदाय करने के लिए संयुक्ततः और पृथक्तः दायी होंगे और यदि ऐसा कर, शास्ति और ब्याज एक या कुछ भू-धारकों से वसूल किया जाता है तो ऐसा भू-धारक या, यथास्थिति, ऐसे भू-धारक शेष भू-धारकों से कर, शास्ति और ब्याज की आनुपातिक रकम का दावा करने और उसे वसूल करने के हकदार होंगे।

(2) इस धारा के अधीन कोई भी निर्धारण, उस वर्ष, जिसमें इस धारा के अधीन निर्धारण किया जाना ईप्सित है, की 1 अप्रैल से तीन वर्ष पूर्व की किसी कालावधि के लिए नहीं किया जायेगा।

21. शास्ति.- जहां भू-धारक, उस दिवस को या उससे पूर्व, जिसको कर शोधय हो जाता है, या यदि वह किस्तों का विकल्प चुनता है तो उस तारीख को या उससे पूर्व, जिसको कोई किस्त शोधय हो जाती है, कर जमा कराने में विफल रहता है या उस दिवस को या उससे पूर्व, जिसको ऐसी विवरणी देय हो जाती है, विवरणी या पुनरीक्षित विवरणी फाइल नहीं करता है या अपूर्ण या गलत विवरणी फाइल करता है, वह शास्ति के रूप में, निम्नलिखित का संदाय करने का दायी होगा,-

- (i) कर का संदाय करने में व्यतिक्रम की दशा में, शोधय कर की रकम पर दो प्रतिशत प्रतिमास के बराबर रकम, किन्तु शास्ति की रकम शोधय कर की रकम की दो गुनी से अधिक नहीं होगी;
- (ii) विवरणी फाइल करने में व्यतिक्रम की दशा में, व्यतिक्रम के प्रत्येक दिवस के लिए पचास रुपये, किन्तु शास्ति की रकम पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगी;
- (iii) अपूर्ण या गलत विवरणी की दशा में, पच्चीस हजार रुपये।

22. शास्ति या ब्याज का परिहार करने की शक्ति.- राज्य सरकार, यदि लोकहित में ऐसा करना समीचीन समझे तो इस अध्याय के अधीन संदेय किसी शास्ति या ब्याज का, किसी शर्त के बिना या ऐसी शर्तों सहित, जैसाकि वह उचित समझे, परिहार कर सकेगी।

23. अधिक संदायों का प्रतिदाय.- (1) किसी भू-धारक से शोध्य रकम से अधिक संदत्त की गयी कोई राशि, उसके द्वारा निर्धारण प्राधिकारी को आवेदन करने पर, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, उसे प्रतिदत्त की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन कोई भी आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस वर्ष, जिससे ऐसी अधिक रकम संबंधित है, की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर-भीतर फाइल नहीं किया जाता है।

24. वसूली का साधारण ढंग.- (1) इस अध्याय के अधीन संदेय कोई कर, ब्याज या शास्ति ऐसी कराधेय भूमि पर प्रभार होगी, जिसके संबंध में ऐसा कर, ब्याज या शास्ति संदेय है।

(2) इस अध्याय के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां इस अध्याय के अधीन किसी भू-धारक द्वारा संदेय कोई भी कर, ब्याज या शास्ति इस अध्याय या तदधीन बनाये गये नियमों या जारी की गई अधिसूचनाओं के उपबंधों के अनुसार संदत्त नहीं की जाती है, वहां वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगी और निर्धारण प्राधिकारी या महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प, राजस्थान द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी ऐसे भू-धारक की जंगम या स्थावर संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा ऐसे कर, ब्याज या शास्ति को वसूल करने के लिए सशक्त होगा और राजस्थान भू-राजस्व (संदाय, उधार, प्रतिदाय और वसूली) नियम, 1958 के साथ पठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) के समस्त उपबंध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

25. वसूली का विशेष ढंग.- (1) धारा 24 या किसी विधि या संविदा में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निर्धारण प्राधिकारी या महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प, राजस्थान द्वारा प्राधिकृत कोई भी अन्य अधिकारी किसी भी समय या समय-समय पर, लिखित नोटिस, जिसकी एक प्रति भू-धारक को, उसके अंतिम ज्ञात पते पर भेजी जायेगी, के द्वारा-

(क) ऐसे किसी भी व्यक्ति से, जिससे कोई भी रकम ऐसे किसी भू-धारक को देय हो या देय हो जाये, जो निर्धारण प्राधिकारी द्वारा मांग किये जाने पर कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने में विफल रहा है; या

(ख) ऐसे किसी व्यक्ति से, जो ऐसे भू-धारक के लिए या उसके मद्धे कोई भी धन धारित करता हो या तत्पश्चात् धारित करे,

इतने धन का, जो इस अध्याय के अधीन कर, ब्याज या शास्ति की मांग के संबंध में भू-धारक से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो, या जब वह उस मांग के बराबर या उससे कम हो तो संपूर्ण धन का, सरकारी खजाने या राज्य सरकार की ओर से धन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत बैंक में, इस धारा के अधीन जारी किये गये नोटिस में विनिर्दिष्ट रीति से या तो तत्काल या उससे धन के शोध्य होने या उसके द्वारा धारित किये जाने

पर, नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के (जो धन के शोध्य होने या धारित किये जाने के पूर्व का नहीं हो) भीतर-भीतर संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए, किसी भू-धारक को देय रकम या किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भू-धारक के लिए या उसके मद्धे धारित धन की संगणना ऐसे दावों, यदि कोई हों, को ध्यान में रखते हुए की जायेगी जो ऐसे भू-धारक द्वारा ऐसे व्यक्ति को संदाय के लिए विधिपूर्ण रूप से देय हो गये हों।

(2) उप-धारा (1) के अधीन नोटिस जारी करने वाला प्राधिकारी, किसी भी समय, या समय-समय पर, ऐसे किसी नोटिस को संशोधित या प्रतिसंहत कर सकेगा या इस नोटिस के अनुसरण में कोई भी संदाय करने के लिए समय बढ़ा सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस के अनुपालन में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी संदाय भू-धारक के प्राधिकार के अधीन संदाय किया हुआ समझा जायेगा और ऐसे संदाय के लिए खजाना रसीद या बैंक चालान ऐसे व्यक्ति के दायित्व के, रसीद या चालान में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक, उन्मोचन का अच्छा और पर्याप्त सबूत होगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, जो उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये नोटिस की उस पर तामील होने के पश्चात्, भू-धारक को संदाय करके या अन्यथा किसी भी दायित्व से उन्मोचित होता है, उन्मोचित दायित्व या मांग की रकम, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा तक राज्य सरकार के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी होगा।

(5) ऐसी कोई रकम या धन, जिसका उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से संदाय करने की अपेक्षा की जाती है या जिसके लिए वह उप-धारा (4) के अधीन राज्य सरकार के प्रति वैयक्तिक रूप से दायी है, यदि वह असंदत्त रह जाता है तो इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार वैसे ही वसूलीय होगा मानो कि वह कोई भू-धारक हो।

(6) इस धारा के उपबंध ऐसी किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे, जो किसी भू-धारक से शोध्य कर की बकाया, ब्याज या शास्ति, यदि कोई हो, की वसूली के लिए की जाये।

26. अपीलें.- (1) इस अध्याय के अधीन निर्धारण प्राधिकारी के किसी आदेश या धारा 25 के अधीन किसी नोटिस से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश या, यथास्थिति, नोटिस की तारीख से तीस दिवस की समाप्ति के पूर्व किसी भी समय अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

परन्तु किसी भू-धारक द्वारा या उसकी ओर से की गयी कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि भू-धारक से शोध्य राशि के एक चौथाई से अन्यून के संदाय का समाधानप्रद सबूत उसके साथ न लगा हो।

(2) अपील प्राधिकारी उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कालावधि के अवसान के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस काला वधि के भीतर-भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

(3) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अपील विहित रीति से प्रस्तुत और सत्यापित की जायेगी।

(4) अपील प्राधिकारी, पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, अपील पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे और आदेश की एक प्रति निर्धारण प्राधिकारी और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जो विहित किये जायें, को भेजेगा।

(5) इस धारा के अधीन पारित अपील प्राधिकारी का आदेश धारा 28 के अधीन पारित किसी आदेश के अध्यक्षीन अंतिम होगा।

27. निर्धारण प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी की शक्तियां.- निर्धारण प्राधिकारी और अपील प्राधिकारी को, इस अध्याय के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी न्यायालय में किसी वाद का विचारण करते समय निहित होती हैं, अर्थात्:-

(क) किसी व्यक्ति की उपसंजाति को प्रवर्तित करना और शपथ या प्रतिज्ञान पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी भी दस्तावेज को पेश किये जाने हेतु विवश करना;

(ग) किसी साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना; और

(घ) न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसे अन्तरिम आदेश पारित करना जो वह आवश्यक समझे;

और इस अध्याय के अधीन ऐसे प्राधिकारी के समक्ष की किन्हीं भी कार्यवाहियों को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत और उक्त संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए भी न्यायिक कार्यवाही समझा जायेगा।

28. पुनरीक्षण.- राज्य सरकार या ऐसा अन्य प्राधिकारी, जो उसके द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियुक्त किया जाये, स्वप्रेरणा से या किये गये आवेदन पर इस अध्याय के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किये गये किसी मामले का अभिलेख ऐसे मामले की कार्यवाहियों की वैधता या औचित्य के बारे में स्वयं के समाधान के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगा और उसके प्रति निर्देश से ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति, जिसके हित ऐसे आदेश द्वारा प्रतिकूल रूप से प्रभावित होने की संभावना है, को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो।

29. कतिपय अधिकारियों और प्राधिकारियों की बाध्यता.- (1) राज्य सरकार के अधीन प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी, जिसे भूमि के आबंटन या उसके अभिलेख के संधारण का कृत्य न्यस्त किया गया है, उसके द्वारा आबंटित या प्रबंध की जा रही कराधेय भूमियों के बारे में, अधिकारिता रखने वाले निर्धारण प्राधिकारी को ऐसी रीति से, ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप में, जो विहित किये जायें, ऐसी सूचना देगा और प्रत्येक वर्ष की 15 अप्रैल तक ऐसी सूचना की समेकित विवरणी प्रस्तुत करेगा।

(2) यदि कोई अधिकारी या किसी प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जो उप-धारा (1) के अधीन सूचना देने के लिए उत्तरदायी है, यदि वह उस उप-धारा द्वारा या के अधीन यथा अपेक्षित सूचना देने में विफल

रहता है तो वह ऐसी शास्ति, जो दो लाख रुपये तक की हो सकेगी किन्तु जो पच्चीस हजार रुपये से कम की नहीं होगी, का संदाय करने के लिए वैयक्तिक रूप से दायी होगी:

परन्तु इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने वाला कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि संबंधित अधिकारी को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) महानिरीक्षक, रजिस्ट्रीकरण और स्टाम्प, राजस्थान इस धारा के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा और ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील सचिव, वित्त (राजस्व), राजस्थान सरकार को होगी।

30. प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति.- निर्धारण प्राधिकारी या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे उसके द्वारा इस निमित्त लिखित में नियुक्त किया जाये, इस अध्याय के अधीन उसके कृत्यों का संपादन करने के प्रयोजन के लिए, उस भूमि के, जिसके संबंध में कर का निर्धारण किया जाना संभाव्य है, अधिभोगी को युक्तियुक्त नोटिस देने के पश्चात् ऐसी भूमि पर प्रवेश कर सकेगा:

परन्तु ऐसा कोई भी प्रवेश-

- (i) सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के समय में;
- (ii) किसी मानव निवास स्थान में अधिभोगी की सहमति के सिवाय या जब तक कि उसको प्रस्तावित प्रवेश का कम-से-कम चौबीस घण्टे पूर्व लिखित नोटिस न दे दिया गया हो; और
- (iii) अधिभोगी की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्यक् ध्यान रखे बिना,

नहीं किया जायेगा।

31. निर्धारण प्राधिकारी इत्यादि का लोक सेवक समझा जाना.- प्रत्येक निर्धारण प्राधिकारी और इस अध्याय के प्रयोजन के लिए ऐसे प्राधिकारी के आदेशों के अधीन कार्य कर रहा प्रत्येक अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

32. संरक्षण.- राज्य सरकार, निर्धारण प्राधिकारी, अपील प्राधिकारी या इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन सशक्त किसी अन्य अधिकारी या सेवक के विरुद्ध इस अध्याय या तदधीन बनाये गये किसी नियम या किये गये आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

33. सिविल न्यायालयों में वादों का वर्जन.- इस अध्याय के अधीन के किन्हीं प्राधिकारियों या अधिकारियों द्वारा विनिश्चित या व्यवहृत किये जाने के लिए इस अध्याय द्वारा या इसके अधीन अपेक्षित किसी मामले के संबंध में कोई वाद किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाया जायेगा।

34. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) इस अध्याय के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन से अन्यून की ऐसी कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र की, जिसमें वे इस प्रकार रखे जाते हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे

किन्हीं भी नियमों में कोई भी उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उनके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

35. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अध्याय के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे आदेश कर सकेगी जो इस अध्याय के उद्देश्यों से असंगत न हों और जो कठिनाई का निराकरण करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अध्याय के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

36. निरसन.- (1) राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम सं. 4) का अध्याय 7 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी और राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इसके द्वारा निरसित अध्याय के अधीन की गयी कोई नियुक्ति, या जारी की गयी कोई अधिसूचना, आदेश, नियम या प्ररूप इस अध्याय के उपबंधों के अधीन की गयी या जारी किये गये समझे जायेंगे, जहां तक ऐसी नियुक्ति, अधिसूचना, आदेश, नियम या प्ररूप इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हों और वे तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि इन्हें इस अध्याय के अधीन की गयी किसी नियुक्ति, या जारी की गयी अधिसूचना, आदेश, नियम या प्ररूप द्वारा अतिष्ठित न कर दिया गया हो।

विनोद कुमार भारवानी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, March 27, 2020**

No. F. 2(22)Vidhi/2/2020.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of The Rajasthan Vitt Adhinyam, 2020 (2020 Ka Adhinyam Sankhyank 9) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN FINANCE ACT, 2020

(Act No. 9 of 2020)

(Received the assent of the Governor on the 26th day of March, 2020)

An

Act

further to amend the Rajasthan Stamp Act, 1998 and the Rajasthan Excise Act, 1950 and to simplify and amend the law relating to land tax, in order to give effect to the financial proposals of the State Government for financial year 2020-21.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title.- This Act may be called the Rajasthan Finance Act, 2020.

2. Declaration under section 3, Rajasthan Act No. 23 of 1958. - In pursuance of section 3 of the Rajasthan Provisional Collection of Taxes Act, 1958 (Act No. 23 of 1958) it is hereby declared that it is expedient in the public interest that provisions of clauses 5, 6, 9, 10, 11 and 13 of this Bill shall have immediate effect under the said Act and rest of the provisions shall come into force on 1st day of April, 2020.

CHAPTER II

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN STAMP ACT, 1998

3. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999), hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act,-

(i) for the existing clause (xix), the following shall be substituted, namely:-

"(xix) **"instrument"** includes-

(a) every document by which any right or liability is, or purports to be, created, transferred, limited, extended, extinguished, or recorded; and

(b) any other document mentioned in the Schedule;

Explanation.- The term "document" also includes any electronic record as defined in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act No. 21 of 2000).";

(ii) for the existing clause (xxxiii-a), the following shall be substituted, namely:-

"(xxxiii-a) **"securities"** includes-

(a) securities as defined in clause (h) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Central Act No. 42 of 1956);

(b) a "derivative" as defined in clause (a) of section 45U of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Central Act No. 2 of 1934);

(c) a certificate of deposit, commercial usance bill, commercial paper, repo on corporate bonds and such other debt instrument of original or initial maturity upto one year as the Reserve Bank of India may specify from time to time; and

- (d) any other instrument declared by the Central Government, by notification in the Official Gazette, to be securities for the purposes of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899);"; and
- (iii) for the existing clause (xxxvii), the following shall be substituted, namely:-
"(xxxvii) "**stock exchange**" includes-
- (a) a recognised stock exchange as defined in clause (f) of section 2 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (Central Act No. 42 of 1956); and
 - (b) such other platform for trading or reporting a deal in securities, as may be specified by the Central Government, by notification in the Official Gazette, for the purposes of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899)."

4. Amendment of section 5, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 5 of the principal Act, after the existing sub-section (2), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), in the case of any issue, sale or transfer of securities, the instrument on which stamp duty is chargeable under section 9A of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act No. 2 of 1899) shall be the principal instrument for the purpose of this section and no stamp duty shall be charged on any other instruments relating to any such transaction."

5. Amendment of section 9, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (2) of section 9 of the principal Act, after the existing expression "other marketable securities" and before the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the expression "or of such other instruments as may be specified by the State Government by notification in the Official Gazette" shall be inserted.

6. Amendment of section 18, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (1) of section 18 of the principal Act, for the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the punctuation mark ":" shall be substituted and after sub-section (1), so amended, the following proviso shall be added, namely:-

"Provided that every instrument executed out of the State relating to any property situate in the State shall be produced within three months from the date of its execution before the Collector within whose jurisdiction property is situate."

7. Amendment of section 23, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- For the existing section 23 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

"23. Stock and marketable securities how to be valued.- Where an instrument is chargeable with *ad valorem* duty in respect of any stock or of any marketable or other security, such duty shall be calculated on the market value of such stock or security:

Provided that the market value for calculating the stamp duty shall be, in the case of-

- (a) options in any securities, the premium paid by the buyer;
- (b) repo on corporate bonds, interest paid by the borrower; and

(c) swap, only the first leg of the cash flow."

8. Amendment of section 32, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In clause (d) of section 32 of the principal Act, for the existing expression "exchange", the expression "exchange including swap" shall be substituted.

9. Amendment of section 36, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In sub-section (3) of section 36 of the principal Act, for the existing second proviso, the following shall be substituted, namely:-

"Provided further that nothing in this section shall authorise the Collector to endorse-

- (a) any instrument executed or first executed in the State and brought to him after the expiration of one month from the date of its execution or first execution, as the case may be;
- (b) any instrument executed or first executed out of the State and brought to him after the expiration of three months after it has been first received in the State."

10. Amendment of section 39, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In proviso to section 39 of the principal Act,-

- (i) for the existing clause (d), the following shall be substituted, namely:-
"(d) nothing herein contained shall prevent the admission of any instrument in any court when such instrument has been executed in favour of the Government or where liability to pay stamp duty is on the Government or where it bears the certificate of the Collector as provided by section 36 or any other provision of this Act."; and
- (ii) the existing clause (g) shall be deleted.

11. Amendment of section 53, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In section 53 of the principal Act, after the existing sub-section (6), the following new sub-section shall be added, namely:-

"(7) For the purpose of inquiries under this section, the Collector shall have power to summon and enforce the attendance of witnesses, including the parties to the instrument or any of them, and to compel the production of documents by the same means, and so far as may be in the same manner, as is provided in the case of civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908)."

12. Amendment of Schedule, Rajasthan Act No. 14 of 1999.- In the Schedule of the principal Act,-

- (i) the existing Article 5-A and Article 18 shall be deleted;
- (ii) in Article 26, in the entry of column (1), after the existing expression "**Delivery order in respect of goods**" and before the existing expression ", that is to say", the expression "(excluding delivery order in respect of settlement of transactions in securities in stock exchange)" shall be inserted; and
- (iii) for the existing Article 34, the following shall be substituted, namely:-

" 34. Letter of allotment in respect of any loan to be raised by any company or proposed company.	Five hundred rupees.
--	----------------------

CHAPTER III

AMENDMENT IN THE RAJASTHAN EXCISE ACT, 1950

13. Amendment of section 9-A, Rajasthan Act No. II of 1950.- In proviso to sub-section (1) of section 9-A of the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act No. II of 1950), for the existing expression "75%", the expression "25%" shall be substituted.

CHAPTER IV

LAND TAX

14. Extent.- This Chapter shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

15. Definitions.- In this Chapter, unless the context otherwise requires,-

- (a) "appellate authority" means the officer appointed as such by the State Government for any area by notification in the Official Gazette;
- (b) "assessing authority" means the officer appointed as such by the State Government for any area by notification in the Official Gazette;
- (c) "land" means the land from the surface to the core of the earth and where separate rights are held and granted in different layers of the earth such different layers shall be treated as separate lands and shall be assessed to tax separately and independent of each other;
- (d) "landholder" means a person who holds taxable land as its owner, tenant, lessee, licensee, grantee or under any other right of ownership or occupancy;

Explanation.- Where a landholder holds more than one taxable lands, all such lands shall be considered one unit for the purposes of this Chapter;

- (e) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Chapter;
- (f) "tax" means the tax on land levied and payable under this Chapter;
- (g) "taxable land" means all lands except the land-
 - (i) owned by-
 - (A) the Central Government; or
 - (B) the State Government or a local authority,
 except where such land or a right connected therewith is leased out or otherwise given for its use to any person, institution or corporation, etc. on payment or without payment; or
 - (ii) held-
 - (A) for agricultural or residential purposes; or
 - (B) as a *wakf* property; or
 - (C) by the *Devasthan* Department of the State Government; or
 - (D) for religious or public charitable purposes; or
 - (E) for purposes connected with the disposal of dead bodies; or
 - (F) for public parks, public libraries or public museums or similar public amenities; or

- (iii) which is, for the time being, assessable to tax (by whatever name called) under the provisions of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act No. 18 of 2009) or the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No.13 of 1994); and
- (h) “year” means the year commencing on 1st April and ending on 31st March next following.

16. Levy of tax and its rate.- (1) Subject to the other provisions of this Chapter, there shall be levied and collected for each year a tax on such class of taxable lands at such rates, not exceeding rupees five hundred per square meter, as may be specified by the State Government from time to time by notification in the Official Gazette and different rates may be specified for different classes of the taxable lands.

Explanation.- While classifying land for the purpose of this section, factors like value, productivity, composition, benefits arising out, etc. of the land may be taken into account.

(2) Tax levied under this section shall become due on the 1st day of April of each year and the landholder holding the taxable land on that day shall be liable to pay the whole tax for that year, however, he shall be entitled to claim and recover the proportionate amount of tax from any other person who holds that land in any later part of that year.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), where any land becomes liable to tax at any time subsequent to the 1st April of a year, the tax leviable under this section shall be levied proportionately for the remaining period of that year and such tax shall become due on the 1st day of the month next following the month in which such land becomes so liable and the landholder holding the taxable land on that day shall be liable to pay the whole tax for remaining period of that year, however, he shall be entitled to claim and recover the proportionate amount of tax from any other person who holds that land in any later part of that year.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) or sub-section (2), where any land for any reason whatsoever ceases to be liable to tax at any time during a year, the tax leviable under this section shall be levied proportionately for the period of that year during which such land remained liable to tax.

17. Option to pay tax in instalments and interest.- (1) A landholder may, at his option, pay the tax either in *lump sum* on or before the 30th day of April of the year or on or before the last day of the month next following the month in which a land becomes taxable or in three equal instalments of equal periods ending on 31st March of a year, however, any amount of tax paid after the 30th day of April or the last day of the month next following the month in which a land becomes taxable, as the case may be, shall carry a simple interest at the rate of 12 per cent per annum until the date of payment of such amount.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any land for any reason whatsoever ceases to be liable to tax at any time during a year, the landholder shall pay the whole amount of tax due in respect of such land on or before the last day of the month in which such land ceases to be liable to tax along with the interest payable, if any.

18. Power of Government to exempt, reduce or remit tax.- The State Government, if it considers expedient in the public interest so to do, may, by notification in the Official Gazette, exempt, reduce or remit, whether prospectively or retrospectively, the tax payable in

respect of any class of taxable lands or by any class of landholders, without any condition or with such conditions as may be specified in the notification.

19. Assessment and payment of tax and filing of return.- (1) Every landholder shall self-assess the tax payable under this Chapter and furnish a return on or before the 30th day of April of each year, or on or before the last day of the month next following the month in which a land becomes taxable, as the case may be, to the assessing authority in the prescribed form and manner.

(2) The tax assessed under sub-section (1) shall be deposited by the landholder into a Government Treasury or a bank authorised to receive money on behalf of the State Government in such manner as may be prescribed.

(3) Where landholder discovers any omission or error in any return furnished by him under sub-section (1), he may furnish a revised return within thirty days from the date on which the return becomes due, and the burden of proving that the omission or the error was *bona fide*, shall be on such landholder.

(4) Where the return filed under sub-section (1) is incomplete or the assessing authority is not satisfied with the correctness of the return, he shall, by notice in writing, require the landholder to produce or cause to be produced such information or documents as he may deem necessary and after affording the landholder a reasonable opportunity of hearing assess the tax by an order in writing and such assessment shall have effect from the 1st day of the period to which the return relates.

(5) If no notice under sub-section (4) is issued within three years from the date on which the return becomes due, the assessment made, and return filed, under sub-section (1) shall be final and shall not be questioned thereafter in any manner, whatsoever.

20. Escaped assessment.- (1) Where a landholder liable to pay tax under this Chapter fails to file return and deposit tax as required under section 19, the assessing authority shall, by notice in writing, require the landholder to produce or cause to be produced such information or documents as he may deem necessary and after affording the landholder a reasonable opportunity of hearing assess the tax by an order in writing and such assessment shall have effect from the day on which the land became liable to tax and the landholder holding the land on the date of assessment shall be liable to pay the whole tax so assessed along with penalty and interest, if any, payable under this Chapter, however, he shall be entitled to claim and recover the proportionate amount of tax, penalty and interest from any other person who held that land in any part of the period to which such assessment relates and where on the date of assessment such land has ceased to be taxable, all the landholders who had held the land during the period to which such assessment relates shall be liable, jointly and severally, to pay tax so assessed along with penalty and interest, if any, payable under this Chapter and if such tax, penalty and interest is recovered from one or some of the landholders, such landholder or landholders, as the case may be, shall be entitled to claim and recover proportionate amount of tax, penalty and interest from the remaining landholders.

(2) No assessment under this section shall be made for any period prior to three years from the 1st day of April of the year in which assessment is sought to be made under this section.

21. Penalty.- Where the landholder fails to deposit tax on or before the day on which tax becomes due or, in case he opts for instalments, on or before the date on which an

instalment becomes due or does not file a return or revised return on or before the day on which such return becomes due or files incomplete or incorrect return, he shall be liable to pay by way of penalty,-

- (i) in case of default in payment of tax, an amount equal to two percent per month on the amount of tax due but the amount of penalty shall not exceed two times the amount of tax due;
- (ii) in case of default in filing of return, fifty rupees per day of default but the amount of penalty shall not exceed fifty thousand rupees;
- (iii) in case of incomplete or incorrect return, twenty five thousand rupees.

22. Power to remit penalty or interest.- The State Government may, if it considers expedient in the public interest so to do, remit any penalty or interest payable under this Chapter, without any condition or with such conditions as it may think fit.

23. Refund of excess payments.- (1) Any sum paid in excess of the amount due from a landholder shall, on an application by him to the assessing authority, be refunded to him in such manner as may be prescribed.

(2) No application under sub-section (1) shall be entertained unless it is filed within one year from the end of the year to which such excess amount relates.

24. General mode of recovery.- (1) Any tax, interest or penalty payable under this Chapter shall be a charge on the taxable land in respect of which such tax, interest or penalty is payable.

(2) Without prejudice to other provisions of this Chapter, where any tax, interest or penalty payable by a landholder under this Chapter is not paid in accordance with the provisions of this Chapter or the rules made or notifications issued thereunder, it shall be recoverable as an arrear of land revenue and the assessing authority or any other officer authorised by the Inspector General of Registration and Stamps, Rajasthan, shall be empowered to recover such tax, interest or penalty by attachment and sale of movable or immovable property of such landholder and all the provisions of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956) read with the Rajasthan Land Revenue (Payments, Credits, Refunds and Recovery) Rules, 1958 shall *mutatis mutandis* apply.

25. Special mode of recovery.- (1) Notwithstanding anything contained in section 24 or any law or contract to the contrary, the assessing authority or any other officer authorised by the Inspector General of Registration and Stamps, Rajasthan, may, at any time or from time to time by notice in writing, a copy of which shall be sent to the landholder at his last known address, require, –

- (a) any person from whom any amount is due or may become due to the landholder who has failed to pay tax, interest or penalty on demand by the assessing authority; or
- (b) any person who holds or may subsequently hold any money for or on account of such landholder-

to pay into the Government treasury or the bank authorised to receive money on behalf of the State Government, in the manner specified in the notice issued under this section either forthwith or upon the money becoming due from him or being held by him, within the time specified in the notice (not being before the money becomes due or it is held), so much of the money as is sufficient to pay the amount due from the landholder in respect of the demand of

tax, interest or penalty under this Chapter, or the whole of the money when it is equal to or less than that demand.

Explanation.— For the purpose of this sub-section, the amount due to a landholder or money held for or on account of a landholder by any person shall be computed after taking into account such claims, if any, as may have fallen legally due for payment by such landholder to such person.

(2) The authority issuing a notice under sub-section (1) may at any time, or from time to time, amend or revoke any such notice or extend the time for making any payment in pursuance of this notice.

(3) Any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-section (1) shall be deemed to have made the payment under the authority of the landholder and the treasury receipt or the *challan* of the bank for such payment shall constitute a good and sufficient proof of discharge of the liability of such person to the extent of the amount specified in the receipt or the *challan*.

(4) Any person, who discharges any liability by making payment to the landholder or otherwise, after service on him of the notice issued under sub-section (1), shall be personally liable to the State Government to the extent of the liability discharged or the amount of demand, whichever is less.

(5) Any amount or money which a person is required to pay under sub-section (1) or for which he is personally liable to the State Government under sub-section (4) shall, if it remains unpaid, be recoverable in accordance with the provisions of this Chapter as if he is a landholder.

(6) The provisions of this section shall be without prejudice to any action that may be taken for the recovery of arrears of tax, interest or penalty, if any, due from a landholder.

26. Appeals.— (1) Any person aggrieved by an order of assessing authority under this Chapter or a notice under section 25 may at any time before the expiry of thirty days from the date of the order or notice, as the case may be, prefer an appeal to the appellate authority:

Provided that no appeal by or on behalf of a landholder shall be entertained unless it is accompanied by satisfactory proof of payment of not less than one fourth of the sum due from the landholder.

(2) The appellate authority may admit an appeal after the expiry of the period referred to in sub-section (1), if he is satisfied that there was sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) Every appeal under this section shall be presented and verified in the manner prescribed.

(4) The appellate authority shall, after affording an opportunity of being heard to the parties, pass such order on the appeal as it thinks fit and shall send a copy of the order to the assessing authority and such other persons as may be prescribed.

(5) The order of the appellate authority passed under this section shall, subject to any order passed under section 28, be final.

27. Powers of the assessing authority and the appellate authority.— The assessing authority and the appellate authority shall, for the purpose of this Chapter, have the same powers as are vested in a court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act No. 5 of 1908) while trying a suit, in respect of the following matters, namely:—

- (a) enforcing the attendance of any person and examining him on oath or affirmation;
- (b) compelling the production of any document;
- (c) issuing commission for the examination of any witness; and
- (d) passing such interim orders as may be necessary for the ends of justice;

and any proceedings before such authority under this Chapter shall be deemed to be a Judicial proceedings within the meaning of sections 193 and 228 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860) and also for the purpose of section 196 of the said Code.

28. Revision.- The State Government or such other authority, as may be appointed by it in this behalf by notification in the Official Gazette, may, on its own motion or on application made, call for the record of any case decided by any authority under this Chapter for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of proceedings of such case, and may pass such order in reference thereto as appears to it necessary for the ends of justice:

Provided that no order under this section shall be passed unless a reasonable opportunity of hearing has been provided to the person whose interests are likely to be prejudicially affected by such order.

29. Obligation of certain officers and authorities.- (1) Every officer or authority under the State Government, who is entrusted with the function of allotment, or maintenance of record of, land shall furnish such information about taxable lands allotted or being managed by him to the assessing authority having jurisdiction, in such manner, at such times and in such form as may be prescribed and shall furnish every year by the 15th day of April a consolidated return of such information.

(2) If any officer, or the officer authorised by an authority, responsible for furnishing information under sub-section (1) shall, if he fails to furnish the information as required by or under that sub-section, be personally liable to pay a penalty which may extend to rupees two lakhs but shall not be less than rupees twenty five thousand:

Provided that no order imposing penalty shall be passed under this section unless the officer concerned has been afforded an opportunity of hearing.

(3) The Inspector General, Registration and Stamps, Rajasthan shall be empowered to impose penalty under this section and an appeal shall lie to the Secretary, Finance (Revenue), Government of Rajasthan against such order.

30. Power of entry and inspection.- The assessing authority or such other officer as may be appointed in writing by him in this behalf, may, for the purpose of carrying out its function under this Chapter, after giving reasonable notice to the occupier of the land in respect of which the tax is likely to be assessed, enter upon such land:

Provided that no such entry shall be made –

- (i) within the hours of sunset and sunrise;
- (ii) in a human dwelling, except with the consent of the occupier or after giving him not less than twenty-four hours previous notice in writing of the proposed entry; and
- (iii) without due regard to the social and religious usages of the occupier.

31. Assessing authority, etc. deemed to be public servants.- Every assessing authority and every officer working under the orders of such authority for the purpose of this

Chapter, shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. 45 of 1860).

32. Indemnity.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the State Government, assessing authority, appellate authority or any other officer or servant empowered by or under this Chapter for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Chapter or any rule or order made thereunder.

33. Bar of suits in civil courts.- No suit shall lie in any civil court in respect of any matter which by or under this Chapter is required to be decided or dealt with by the authorities or officers under this Chapter.

34. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Chapter.

(2) All rules made under this Chapter shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature while it is in session for a period of not less than fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions and if, before the expiry of the session in which they are so laid or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modification in any of such rules or resolves that such rules should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, so however that any such modification or annulment shall, be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

35. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Chapter, the State Government may, by notification in the Official Gazette, make such orders not inconsistent with the objects of this Chapter as appear to it necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such orders shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Chapter.

(2) Every order made under the section shall, as soon as may be after it is so made, be laid before the House of the State Legislature.

36. Repeal .- (1) Chapter VII of the Rajasthan Finance Act, 2006 (Act No. 4 of 2006) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal and without prejudice to the provisions of the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. 8 of 1955), any appointment, notification, order, rule or form made or issued under the Chapter hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Chapter, in so far as such appointment, notification, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Chapter and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, order, rule or form made or issued under this Chapter.

विनोद कुमार भारवानी,

Principal Secretary to the Government.